न्यायालयः मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, झुंझुनूं (राज.)

एफआर संख्याः 330/2022, परिवादी सुनील कुमार
प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्याः 444/2022
पुलिस थाना कोतवाली झुंझुनूं
अंतर्गत धाराः 143, 427, 307 भारतीय दण्ड संहिता

दिनांकः 29.07.2026

अभियोजन अधिकारी उपस्थित। परिवादी अधिवक्ता उपस्थित। परिवादी अनुपस्थित। बहस प्रसंज्ञान सुनी गई।

दौराने बहस परिवादी अधिवक्ता द्वारा इस आशय का तर्क दिया गया कि अनुसंधान अधिकारी ने परिवाद में अंकित किए गए समस्त तथ्यों पर अनुसंधान नहीं किया जाकर प्रकरण में विधिसम्मत कार्यवाही नहीं की है। अतएव प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन स्वीकार किया जाकर अभियुक्त के विरूद्ध प्रसंज्ञान लिए जाने का निवेदन किया गया।

सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। जिससे जाहिर आया कि परिवादी द्वारा इस आशय की रिपोर्ट आरक्षी केंद्र के समक्ष पेश की गई थी कि दिनांक 12.07.2022 को रात्रि के समय उसकी गाड़ी स्कार्पिओ नम्बर RJ18UD9909 जो उसके ऑफिस के सामने खड़ी थी को एक अन्य स्कार्पिओ गाड़ी नम्बर RJ51CA2194 ने टक्कर मारी और जब वह बाहर गया तथा तो उस पर भी गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की। गाडी में दिनेश कालेर उर्फ सोनू, सिद्धार्थ तेतरवाल एवं हितेष मील और अन्य 2–3 व्यक्ति बैठे हुए थे। तहरीरी रिपोर्ट में अंकित किये गये तथ्यों के आधार पर किये गये अनुसंधान में वाहन नम्बर RJ51CA2194 को चालक द्वारा कोई सामान भूलवश छूटने पर गाड़ी को मोड़ा जाने पर गलती से परिवादी की गाड़ी के टक्कर लगना प्रमाणित माना और रिपोर्ट में अंकित तथ्यों को झूठा मानते हुए नकारात्मक अंतिम प्रतिवेदन पेश किया गया है। जिसका खण्डन परिवादी द्वारा नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में पत्रावली पर अनुसंधान अधिकारी द्वारा दिए गए निष्कर्ष से असहमत होने का कोई युक्तियुक्त कारण इस स्तर पर न्यायालय के समक्ष पेश नहीं है। अतः पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर अनुसंधान अधिकारी की राय के विरूद्ध राय कायम किए जाने का कोई

आधार नहीं होने से अंतिम प्रतिवेदन स्वीकार किया जाता है। केस डायरी संबंधित थानाधिकारी को आदेश की प्रति के साथ प्रेषित की जावे। पत्रावली में अब कोई कार्यवाही शेष नहीं है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।